वेबसाईट शाखा

झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

तृतीय (मानसून) सत्र

वर्ग- 5

निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक- 06 भाद्र 1937 (श०) / 28 अगस्त, 2015 (ई०) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र० सं०	विभागों को भेजी गई सां०सं०	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गयी तिथि।
01	02	03	04	05	06
129	अ०सू०-28	श्री राज सिन्हा,	चिकित्सकों की नियुक्ति।	स्वा०चि०शि० एवं परि०क०	22.08.15
130	अ०सू०-20	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता,	अन्यत्र स्थानान्तरण	स्वा०चि०शि० एवं परि०क०	22.08.15
131	अ०सू०-29	श्री विकास कु० मुण्डा,	निर्माण कार्य पूरा करना।	स्वा०चि०शि० एवं परि०क०	23.08.15
132	अ०सू०-39	श्री मनीष जायसवाल,	स्वास्थ्य केन्द्र को चालू करना।	स्वा०चि०शि० एवं परि०क०	24.08.15
133	अ०सू०-34	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी,	कमियों को दूर करना।	स्वा०चि०शि० एवं परि०क०	24.08.15
134	अ०सू०-22	श्री प्रकाश राम,	चिकित्सकों का पदस्थापन	स्वा०चि०शि० एवं परि०क०	20.08.15
135	अ०सू०-23	श्री चमरा लिण्डा,	किसी दूसरे को पुनः बिक्री करना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	20.08.15
136	अ०सू०-18	श्री जयप्रकाश भाई पटेल।	गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी विभाग खोलना	स्वा०चि०शि० एवं परि०क०	20.08.15
137	अ०सू०-01	श्री संजीव सिंह	ईलाज हेतु मान्यता देना।	स्वा०चि०शि० एवं परि०क०	17.08.15

138	अ0सू0-09	श्री शशिभूषण सामाइ	पदा0/संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	18.08.15
139	अ0सू0-26	श्री मनीष जायसवाल	निमित रखने का विचाइ	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	20.08.15
140	अ0सू0-27	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	दोषी चिकित्सक पर कार्रवाई।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	20.08.15
141	अ0सू0-15	श्री बिरंची नारायण,	ई0एस0आई0 हॉस्पीटल खोलना	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	18.08.15
142	अ0सू0-25	श्री कुणाल षाड़गी,	पेंशन मुहैया कराना	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	20.08.15
143	अ0सू0-37	श्री संजीव सिंह	सेवा स्थायीकरण का विचार।	श्रम नि0प्र0एवं कौ0विकास विभाग	24.08.15
144	अ0सू0-11	श्री राधाकृष्ण किशोर,	सदर अस्पताल का संचालन	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	18.08.15
145	अ0सू0-24	श्री रघुनन्दन मंडल,	पदस्थापन करना	स्वा0चि0शि0 एवं परि0कल्याण	20.08.15
146	अ0सू0-36	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	दोषी के खिलाफ कार्रवाई।	राजस्व नि0एवं भू0 सुधार	24.08.15
147	अ0सू0-16	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	प्रशिक्षण देना।	श्रम नि0प्र0 एवं कौ0 विकास	22.08.15
148	अ0सू0-08	श्री शशिभूषण सामाइ	एक्स0 अल्ट्रा साउंड मशीन लगाना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0कल्याण	18.08.15
149	अ0सू0-35	श्री नारायण दास	चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी उपलब्ध कराना।	स्वा0चि0शि एवं परि0क0	24.08.15
150	अ0सू0-05	श्री रामकुमार पाहन	स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	17.08.15
151	अ0सू0-13	श्री बादल,	कार्यक्रम प्रारंभ करना।	श्रम नि0प्रशि0 एवं कौ0विकास	18.08.15
152	अ0सू0-38	श्री फूलचन्द मंडल,	रेफरल अस्पताल बनाना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	24.08.15
153	अ0सू0-06	श्री प्रदीप यादव,	जमीन वापस करना	राजस्व नि0 एवं भू0सुधार	17.08.15

कृ0पृ030-

154	अ0सू0-03	श्रीमती विमला प्रधान,	आवंटित राशि का उपयोग।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	17.08.15
155	अ0सू0-12	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	निर्माण कार्य पुर्ण करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	18.08.15
156	अ0सू0-07	श्रीमती जोबा मांझी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का जीर्णोद्धार	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	18.08.15
157	अ0सू0-33	डॉ0 अनिल मुर्मू	दवा उपलब्ध कराना	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	23.08.15
158	अ0सू0-14	श्री बिरंची नारायण	बस्तियों को नियमित करना।	राजस्व निबंधन एवं भू0सुधार	18.08.15
159	अ0सू0-19	श्री अरूप चटर्जी	निर्देश पर कार्रवाई	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	20.08.15
160	अ0सू0-31	श्री आलमगीर आलम	उपकरण उपलब्ध कराना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	23.08.15
161	अ0सू0-32	श्री आलमगीर आलम,	ब्लड बैंक को चालू कराना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	23.08.15
162	अ0सू0-21	श्री राजकुमार यादव,	पॉलिटेकनिक कॉलेज का निर्माण	श्रम नि0प्र0 एवं कौ0विकास	20.08.15
163	अ0सू0-17	प्रो0जय प्रकाश वर्मा	निषेधज्ञा लागू कराना।	उत्पाद एवं मद्य निषेद विभाग	20.08.15
164	अ0सू0-02	श्री रामकुमार पाहन,	प्रशिक्षण केन्द्र का स्थापना।	श्रम नि0प्र0 एवं कौ0विकास	17.08.15
165	अ0सू0-10	प्रो0जय प्रकाश वर्मा,	नक्सा उपलब्ध कराना ।	राजस्व नि0 एवं भू0सुधार	18.08.15
166	अ0सू0-04	श्रीमती विमला प्रधान,	नर्सिंग ट्रेनिग स्कूल चलवाया जाना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	17.08.15
167	अ0सू0-30	श्री दीपक बिरूवा	कानूनी कार्रवाई करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	23.08.15

रॉंची,
दिनांक- 28 अगस्त, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-07/2015.....2531...../वि0स0, राँची, दिनांक-27/8/2015

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रीगण/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

नवीन कुमार 27.08.15
(नवीन कुमार)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-07/2015.....2531...../वि0स0, राँची, दिनांक-27/8/2015

प्रति :- अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नवीन कुमार 27.08.15
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

27.08.15

(127)

डॉ० राज सिन्हा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०– 28 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्ता:– श्री राज सिन्हा– क्या मंत्री, स्वास्थ्य, वि० शि० एवं प०क० विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तरदाता:– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा० वि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद में सीटों की संख्या–100 से घटाकर 50 कर दी गई है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि एम०सी०आई०, नई दिल्ली के निरीक्षण के दौरान इस अस्पताल में योग्य शिक्षकों की कमी के कारण स्थान घटाया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, क्या सरकार पी०एम०सी०एच० की मान्यता बचाने के लिए वाक–इन–इन्टरव्यु द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:–09 / विधायी– 06–12 / 2015 150(9) राँची, दिनांक:– 26.08.15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं० 2431 दिनांक 22.08.15 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

26.8.15
सरकार के उप सचिव।

(130)

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा झारखण्ड विधान सभा में दिनांक 28.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–20 के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि डॉ0 प्रभात कुमार सिन्हा का पदस्थापन विगत छः माह पूर्व गोड्डा सदर अस्पताल में किया गया था।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि नियम विरूद्ध डॉ0 प्रभात कुमार सिन्हा का स्थानान्तरण गोड्डा जिला के कसवा प्रखण्ड में कर दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक। डॉ0 सिन्हा का स्थानान्तरण इनके अभ्यावेदन पर विचार कर विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से किया गया है। स्थानान्तरण नियम विरूद्ध नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियम विरूद्ध की गई पदस्थापन को रद्द करते हुए डॉ0 प्रभात कुमार सिन्हा को अन्यत्र स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03 / वि0 स0–03–64 / 2015 1063(3) राँची, दिनांक: 27/8/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 2432 दिनांक 22.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15
सरकार के अवर सचिव

(131)

माननीय विधायक श्री विकास कुमार मुण्डा द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 29 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत बुण्डू प्रखण्ड में (2.75) करोड़ की लागत का अनुमण्डलीय अस्पताल निर्माणाधीन है;		स्वीकारात्मक है । विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 161(3)ब दिनांक 15.01.07 द्वारा अनुमण्डलीय अस्पताल, बुण्डू के भवन निर्माण हेतु कुल 2,81,36,691/– रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है ।
2. क्या यह बात सही है कि निर्माणाधीन भवन राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि में पड़ने के कारण उसका मार्ग परिवर्तन किया गया है;		स्वीकारात्मक है । अन्य कारणों के अलावे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 33 के फोरलेन के लिए आवश्यक भूमि के अन्तर्गत पड़ने के कारण निर्माणाधीन अनुमण्डलीय अस्पताल का निर्माण कार्य अवरुद्ध रहा । बाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अस्पताल की महत्ता को ध्यान में रखते हुए पत्रांक– 564 दिनांक 10.07.15 द्वारा राजमार्ग की दिशा में परिवर्तन कर दिया गया है ।
3. क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन के पश्चात पुनः शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है;		स्वीकारात्मक है । अनुमण्डलीय अस्पताल भवन के निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेन्सी ग्रामीण कार्य विशेष प्रमण्डल से कुल 5,58,61,000/– रुपए का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त हुआ है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अनुमण्डलीय अस्पताल का शेष निर्माण कार्य वर्ष– 2015 में पूर्ण कर स्वास्थ्य सेवा प्रारंभ करने का विचार रखती है हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		प्राप्त प्राक्कलन की समीक्षा करते हुए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 90/15– 706 (6) स्वा0, राँची, दिनांक: 26·8·15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2444/वि0स0, दिनांक 23.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.8.15
सरकार के उप सचिव ।

(132)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 28-08-15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 –अ0सू0 –39

प्रश्नकर्त्ता		उत्तरदाता
श्री मनीष जायसवाल मा0 स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0 मंत्री, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान–सभा क्षेत्र के सदर प्रखण्डाअन्तर्गत चुटियारों पंचायत में दो वर्ष पूर्व से ही प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकर तैयार होने के बावजूद अबतक उक्त केन्द्र को चालू नहीं की गई है ;		हजारीबाग विधान– सभा क्षेत्र में सदर प्रखण्डाअन्तर्गत चुटियारों पंचायत में प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं बल्कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र बनाया गया है। ए0एन0एम0 की कमी के कारण इसे संचालित नहीं किया गया है। ए0एन0एम0 की नियुक्ति होने के पश्चात चुटियारों स्वास्थ्य उपकेन्द्र में ए0एन0एम0 को पदस्थापित करते हुए इसे संचालित कर दिया जाएगा।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड– 1 में वर्णित केन्द्र को अबतक चालू नहीं होने के कारण स्थानीय लोगो को स्वास्थ्य सुविधा की लाभ लेने हेतु सदर अस्पताल, हजारीबाग पर निर्भर होना पड़ता है, जहाँ लोगो को आने– जाने में कठिनाई होती है ;		नवनिर्मित स्वास्थ्य उपकेन्द्र, चुटियारों के नजदीक में ही डुमर स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है। जहाँ से लोग स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर रहे है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड– 1 में वर्णित केन्द्रों को 01 (एक) माह के अन्दर चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?		ए0एन0एम0 को प्रतिनियुक्ति कर इस चुटियारों स्वास्थ्य उपकेन्द्र को एक माह के अन्दर चालू कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक– 15/ वि0स0–08-81/15– 343(15) दिनांक– 27-8-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0– 2455, दिनांक– 24-08-15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15
सरकार के अवर सचिव ।

(133)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0– 34 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता:– श्री निर्भय कुमार शाहाबादी– क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तरदाता:– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि रिम्स, राँची, एम0 जी0 एम0 अस्पताल, जमशेदपुर एवं पी0 एम0 सी0 एच0, धनबाद इत्यादि के रख–रखाव पर सरकार प्रतिवर्ष अरबों रूपये खर्च करने के बावजूद उक्त प्रबंधन के लापरवाही के कारण राज्य के विभिन्न जिलों से आये गरीब मरीजों का समुचित ईलाज नहीं की जाती है;	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित अस्पतालों मे अक्सर मरीजों को सिटी स्कैन, पैथोलोजीकल जाँच, एक्स–रे एवं स्नोग्राफी बाहर से कराने के साथ–साथ कई दवाओं को बाहर से खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। कभी–कभी मशीन के खराब रहने एवं कुछ दवाओं के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में ही अस्पताल के बाहर से जाँच एवं दवा का क्रय मरीजों को करना पड़ता है।
3. क्या यह बात सही है कि राँची स्थित रिम्स के ओर्थोपेडिक वार्ड का ऑपरेशन से संबंधित यंत्र विगत 03 (तीन) माह से खराब रहने के कारण कई मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। मशीन यंत्र में तकनीकी खराबी यदा–कदा होती रहती है। यंत्र का मरम्मती कर उसे पुनः संचालित करया जाता है। वर्तमान में ओर्थोपेडिक शल्य कक्ष के यंत्र क्रियाशील है।
4. यदि उपरोक्तखण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उपर्युक्त कमियों को दूर कराने विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पैथोलॉजी जाँच के लिए पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मॉडल के अन्तर्गत निजी कम्पनी के साथ एकरारनामा किया गया है। पी0 एम0 सी0 एच0, धनबाद एवं रिम्स, राँची में पैथोलॉजी जाँच का कार्य प्रारंभ हो गया है। एम0 जी0 एम0 अस्पताल, जमशेदपुर में शीघ्र ही जाँच कार्य प्रारंभ होगा। रेडियोलॉजी जाँच के लिए भी कम्पनी का चयन कर लिया गया है। शीघ्र ही एकरारनामा किया जाएगा। दवा की उपलब्धता हेतु तीनो अस्पतालों को राशि आवंटित कर दिया गया है। अस्पताल से संबंधित अन्य सामग्रियों केक्रय हेतु भी राशि आवंटित की गई है। सरकार अन्य कमियों को पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:–11 / वि0स0– 05–11 /2015 – 237 (11) राँची, दिनांक:– 27/08/15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 2454 दिनांक 24.08.15 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(134)

(8)

श्री प्रकाश राम, मा0 स0 वि0 स0, द्वारा झारखण्ड विधान सभा में दिनांक 28.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–22 के संबंध में।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि, लातेहार जिला अन्तर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थानो में नियमित/अनुबंध (एन0आर0एच0एम0)/अनुबंध (आर0सी0एच0) में कुल स्वीकृत पद 1031 है जिसके विरूद्ध मात्र 473 पदों पर कर्मी कार्यरत है शेष 558 पद रिक्त है ;	आंशिक स्वीकारात्मक । वर्त्तमान में लातेहार जिला में 558 पदाधिकारी/कर्मी कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि, लातेहार जैसे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल जिला में स्वास्थ्य जैसी प्रमुख संस्थानो में स्वीकृत पदों के विरूद्ध आधे से भी ज्यादा पद रिक्त होना दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे समय पर जिले के मरीजो को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है तथा बेहत्तर इलाज हेतु अन्यत्र जाना पडता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक । लातेहार जिला अन्तर्गत उपलब्ध चिकित्सक /चिकित्सा कर्मियों द्वारा उचित स्वास्थ्य व्यवस्था यथा संस्थागत प्रसव, सदर अस्पताल में सिजेरियन प्रसव, सभी स्वास्थ्य संस्थानों में टीकाकरण, परिवार नियोजन, सामान्य मरीजो का ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0, लघु ऑपरेशन आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिले के स्वीकृत पदों के विरूद्ध चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति लातेहार अन्तर्गत 58 विभिन्न रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है एवं चिकित्सा पदाधिकारियों की भी पदस्थान की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0 स0–03–61/2015 1066 (3) राँची, दिनांक: 27/8/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 2350 दिनांक 20.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15

सरकार के अवर सचिव

(135)

श्री चमरा लिण्डा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.08.15 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–23 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
1	क्या यह बात सही है कि मौजा–टिकराटोली कुदलोग अंचल नगड़ी जिला राँची का खाता नं0–151/जमीन का किस्म गैरमजरूआ खास/प्लाट नं0–418 रकबा–10 एकड़ 80 डि0 का कितना जमीन रैयत को बन्दोबस्त किया गया है तथा जमीन किनके नाम पर बन्दोबस्त किया गया है?		अस्वीकारात्मक। राँची जिला के अंचल–नगड़ी के मौजा–टिकराटोली, थाना सं0–151, प्लॉट सं0–418 रकबा–10.80 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ मालिक नाम लगान पानेवाला सेकेट्री फॉर इण्डिया इन कॉन्सील दर्ज है, प्रश्नगत खाता प्लॉट की भूमि का सरकारी बन्दोबस्त किसी भी रैयत को नहीं किया गया है। उपरोक्त खाता प्लॉट की भूमि रकबा–7.04 एकड़ भूमि वर्ष 1960 में भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय द्वारा नीलामी में मेघी बाई ने क्रय की थी, जिसका दाखिल खारिज वाद सं0–127आर027/92–93 द्वारा स्वीकृत होकर पंजी–II में मेघी बाई के नाम जमाबन्दी कायम हुआ। वर्त्तमान रैयत कमल भुषण वल्द विश्वनाथ भगत वगैरह के नाम पंजी–II में दाखिल–खारिज वाद सं0–1033आर27/10–11 के आधार पर दर्ज है।
2	क्या गैरमजरूआ खास जमीन किसी के नाम से बन्दोबस्त कर दिया जाता है तो उसे किसी दूसरे को पुनः बिक्री करना कनून सम्मत है यदि हाँ, तो कैसे नहीं तो क्यों?		राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या–1339/रा0, दिनांक–24.05.1974 के आलोक में गैरमजरूआ खास भूमि के सरकारी बन्दोबस्त से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय होती है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–4/स0भू0वि0स0 (अ0सू0)–39/15 4124 /रा0 दिनांक– 27-8-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2356/वि0स0, दिनांक–20.08.15. के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15
सरकार के उप सचिव

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू० 18 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स०–क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चि० शि० एवं प०क० विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तरदाता:– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.क्या यह बात सही है कि राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS), राँची झारखण्ड राज्य का एक मात्र महत्वपूर्ण चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र है ।	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि इस चिकित्सालय में राज्य भर के रोगी ईलाज कराने के लिए आते है।	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल में पेट रोग " गैस्ट्रो इन्ट्रोलॉजी" (Gastro Entrology) विभाग का यूनिट नहीं है, जबकि मेडिसीन विभाग में 25 से 30 प्रतिशत रोगी इन गैस्ट्रो इन्ट्रोलॉजी रोग के होते है।	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, लोकहित में सरकार रिम्स जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में " गैस्ट्रो इन्ट्रोलॉजी" (Gastro Entrology) विभाग खोलने की विचार रखती है तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	रिम्स, राँची में गैस्ट्रो इन्ट्रोलॉजी (Gastro Entrology) विभाग खोलने हेतु चिकित्सकों के पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तत्पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:–11/वि०स०–05–10/2015 - 234(H) राँची, दिनांक:– 25.08.15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं० 2349 दिनांक 20.08.15 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.15

सरकार के उप सचिव।

Nand Kumar, Health Deptt.

137

श्री संजीव सिंह माननीय सदस्य वि0 स0 द्वारा दिनांक–28.08.2015 को प्रस्तुत अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में असाध्य रोग के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष द्वारा आम जनता को 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रूपया) तक आंवटित की जाती है।	आंशिक स्वीकारात्मक। **मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना** के तहत चिकित्सा सहायता के रूप में Heart Disease/Nephrology/Orthopedics/Neuro Surgery/Eye/General Surgery/Plastic Surgery/Pediatrics/Liver Diseases के विभिन्न मामलों में रूपये 2.50 लाख अधिकतम तथा गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में अधिकतम रूपये 5.0 (पाँच) लाख एवं कैन्सर के मामले में अधिकतम रूपये 4.0 (चार) लाख रूपये की स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान है।
2.	क्या यह बात सही है कि पूरे देश भर में चुनिंदा अस्पतालों को ही चिन्हित किया गया है।	सरकार ने अस्पतालों की संख्या 29 से बढ़ाकर 44 अस्पतालों को सूचिबद्ध किया है जिसमें राज्य एवं देश के भीतर के प्रतिष्ठित सरकारी एवं निजी अस्पताल है।
3.	क्या यह बात सही है कि मरीजों को चुनिंदा अस्पताल चयन रहने के कारण आम जन को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।	अस्वीकारात्मक। विभाग को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। मरीज द्वारा स्वंय के चयनित सूचिबद्ध अस्पतालों में से किसी एक में चिकित्सा करने की सुविधा प्रदान की जाती है।
4.	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य लाभ हेतु चयन प्रक्रिया के लिए समय–सीमा निर्धारित नही है।	अस्वीकारात्मक। योजना के तहत् चिकित्सा सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच कर निर्णय लेने हेतु जिला स्तर पर संबंधित सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रत्येक सोमवार को बैठक करना है। विशेष परिस्थिति में समिति को उसी दिन अथवा दूसरे दिन निर्णय लेने का आदेश दिया गया।
5.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार स्वास्थ्य लाभ हेतु चयनित मरीजों के लिए समय–सीमा निर्धारित करते हुए देश के सभी अस्पतालों को ईलाज हेतु मान्यता देने का विचार रखती है हाँ तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं0 सं0–13/आर–1–481/15 (गरीबी रेखा) 164 दिनांक– 25-08-2015

प्रतिलिपि– अवर सचिव झारखण्ड विधान सभा राँची को उनके पत्रांक–2121 दिनांक–17/08/2015 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/2015
सरकार के उप सचिव

138

माननीय विधायक श्री शशि भूषण सामाड द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0स0 अ0सू0– 09 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड बन्दगाँव के घाटी नीचे कराईकेला स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पिछले 6 वर्षों से अधूरा है;		स्वीकारात्मक है। वस्तुतः बन्दगाँव प्रखण्ड अन्तर्गत कराईकेला में उपायुक्त, प0 सिंहभूम (चाईबासा) द्वारा चयनित कार्य एजेन्सी एन0आर0ई0पी0 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा था जो वर्षों से अधूरा है ।
2. क्या यह बात सही है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के आम जनता को चक्रधरपुर के अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है;		बन्दगाँव प्रखण्ड अन्तर्गत कराईकेला में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, जिसमें वर्तमान में एक आयुष चिकित्सक, पाँच ए0एन0एम0 पदस्थापित है। इसके द्वारा क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कराईकेला से लगभग 3 कि0मी0 पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र, लण्डुपदा, 4 कि0मी0 पर मटकमबेडा, 6 कि0मी0 पर हुडगंदा एवं लगभग 8 कि0 मी0 की दूरी पर नकटी स्वास्थ्य उपकेन्द्र अवस्थित है। इन स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से भी चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।
3. क्या यह बात सही है कि निर्माण कार्य से संबंधित पदाधिकारी एवं अभियन्ता की मिलीभगत से संवेदक द्वारा घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है;		उपायुक्त, प0 सिंहभूम के पत्र ज्ञापांक– 648 दिनांक 10.07.15 द्वारा योजना की जाँच हेतु टीम गठित कर दी गई है। जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है । जाँच के फलस्वरुप यदि अनियमितताएँ प्रतिवेदित की जाती है तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जाँच कर विभागीय पदाधिकारी एवं संवेदक के खिलाफ कार्रवाई कर अविलम्ब निर्माण कार्य पूरा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		कंडिका 3 में स्पष्ट की गयी है। विभागीय पत्रांक–554(6) दि0 02.7.15 द्वारा अधूरी योजनाओं के पूर्ण कराने के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विहित प्रपत्र में प्रस्ताव की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 71/15– 704(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 26.8.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2229/वि0स0, दिनांक 18.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.8.15
सरकार के उप सचिव ।

(139)

श्री मनीष जयसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–28 के संबंध में प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री मनीष जयसवाल, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में खास महल की जमीन का पावर ऑफ अटर्नी लोगों को दी गई है;		आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। राज्य में कुछ लीजधारियों द्वारा अपने निकटवर्ती लोगों को लीज, भूमि से संबंधित कार्यों हेतु पावर ऑफ अटार्नी दी गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित जमीनों को निजी स्वार्थ में अन्य लोगों के हाथो बेची जा रही है;		अस्वीकारात्मक। परिपत्र संख्या–344/रा0, दिनांक–11.03.1993 के आलोक में खास महाल भूमि का लीज अन्तरण एवं प्रयोजन परिवर्तन किया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित जमीन अन्य लोगों द्वारा खास महल पदाधिकारियों से पावर अटर्नी लेकर बेचने से सरकार को भारी राजस्व की क्षति हो रही है,		अस्वीकारात्मक। परिपत्र संख्या–344/रा0, दिनांक–11.03.1993 के आलोक में लीज अन्तरण एवं प्रयोजन परिवर्तन किया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्यहित में खण्ड–1 में वर्णित जमीन का पावर ऑफ अटर्नी सिर्फ पट्टाधारी के सबसे नजदीक के रिश्तेदारों जैसे– माता, पिता, पुत्र, पुत्री एवं पुत्र बहू तक ही समिति रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		पावर ऑफ अटर्नी को न्यायिक मान्यता प्राप्त है। जिसके तहत् पावर ऑफ अटार्नी देना पट्टाधारी का व्यक्तिगत अधिकार है तथा वह किसी व्यक्ति जिनमें पट्टाधारी के निकटतम संबंधी सम्मिलित है को पावर अटार्नी दे सकता है। राज्य सरकार पावर ऑफ अटार्नी को निकटतम संबंधी तक सीमित नहीं कर सकती है क्योंकी यह Central Act है। पावर अटार्नी से संबंधित प्रावधान The Power of Attorney Act, 1882 में है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–7/खा0म0 वि0स0 (अ0सू0)–337/15 4113/रा0 दिनांक–26-8-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2355 वि0स0, दिनांक–20.08.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/15
सरकार के उप सचिव

(140)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा0 स0 वि0 स0, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 28.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–27 के संबंध में।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि, रांची जिला के खलारी प्रखण्ड अन्तर्गत मैक्लुस्कीगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र, के चार चिकित्सक पदस्थापित है ;	अस्वीकारात्मक खलारी प्रखण्ड अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मैक्लुस्कीगंज में चिकित्सा पदाधिकारी का दो पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध एक चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त चारो चिकित्सक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थातिप होने के बाद भी वे अनुपस्थित रहते है जिससे स्थानीय लोगो को ईलाज के लिए अन्यत्र जाना पड़ रहा है ;	वर्त्तमान में डॉ0 दुर्गा टुडू, चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित एवं कार्यरत है। स्थानीय लोगो को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डायरिया, मलेरिया एवं अन्य बिमारियों से पीड़ित गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के हित में स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने एवं दोषी चिकित्सकों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्थिति उपर के खण्डों में स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03 / वि0 स0–03–62 / 2015 1060(3) राँची, दिनांक 26/8/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 2351 दिनांक 20.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

शुभ्र प्रसाद सिंह 26.8.15
सरकार के अवर सचिव

श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य विधान सभा के द्वारा दिनांक 28.08.2015 को पूछे जाने वाले वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–15 के संबंध में।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–15	**श्री राज पलिवार,** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत बी0एस0एल0, सी0सी0एल0, बी0सी0सी0एल0, सी0टी0पी0एस0, बी0टी0पी0एस0, बी0पी0सी0 एल0, इलेक्ट्रोस्टील, टी0वी0एन0एल0 इत्यादि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 2 लाख से अधिक नियमित एवं ठेका मजदूर कार्यरत हैं ?	बोकारो जिलान्तर्गत बी0एस0एल0, सी0सी0एल0, बी0सी0सी0एल0 (कोलवाशरी), सी0टी0पी0एस0, बी0टी0पी0एस0, बी0पी0सी0 एल0, इलेक्ट्रोस्टील, टी0वी0एन0एल0 में कुल–47452 श्रमिक (नियमित एवं ठेका) कार्यरत हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, झारखण्ड, राँची के अनुसार दिनांक 31.03.2014 तक नियमित अथवा ठेका बीमित कर्मचारियों की कुल संख्या–21,590 है अर्थात् ठेका एवं नियमित श्रमिकों की कुल संख्या–47452 में से कुल–21590 श्रमिक बीमित हैं।
2	क्या यह बात सही है कि इन प्रतिष्ठानों में कार्यरत मजदूरों को गंभीर बीमारी के ईलाज के लिए राँची या दूसरे राज्य में जाना पड़ता है ?	प्रभारी निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रतिवेदन के अनुसार बोकारो क्षेत्र अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भारत सरकार के उपक्रम) द्वारा बीमाकृत ठेका कर्मियों को गंभीर बीमारी का ईलाज के लिए राज्यान्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, टाई–अप चिकित्सा संस्थानों एवं राज्य चिकित्सा पर्षद की अनुमति के पश्चात् राज्य या राज्य के बाहर अतिविशिष्ट चिकित्सा संस्थानों के उपचार हेतु भेजा जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो जिले में ESI Hospital खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 163वीं बैठक के निर्णयानुसार 100 बेड के कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की स्थापना हेतु योजना व्याप्त क्षेत्रों के 25 कि0मी0 के परिधि में कम से कम 50,000 बीमित कर्मियों की संख्या अनिवार्य है। सम्प्रति बोकारो क्षेत्र में बीमित कर्मचारियों की संख्या अस्पताल हेतु पर्याप्त नहीं है अर्थात् बीमित श्रमिकों की संख्या मात्र 21590 है। अतएव बीमित श्रमिकों की निर्धारित संख्या पूरी होने पर ही ESI Hospital खोलने पर विचार किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्रमा0का0(वि0स0)–01/2015 श्र0नि0 1555 राँची दिनांक 26/8/15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–2224/वि0स0 दिनांक 18.08.2015 के अनुपालन में 200 प्रतियों में/अवर सचिव, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, (सरकार पक्ष) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/08/15
(कंचन अंजलि गुण्डू)
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

152

श्री कुणाल षडंगी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 28.08.2015 को पूछे जाने वाला तारांकित

प्रश्न संख्या–अ0सू0–05 की उत्तर–सामग्री

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, मुख्यमंत्री के घोषणा (बिना एपीएल/बी0पी0एल0 के भेदभाव के) के बावजूद आज तक सभी 60 (साठ) वर्ष से अधिक के वृद्ध–वृद्धा एवं 18 वर्ष से अधिक के विधवा को वृद्धापेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की योजना सरजमीन पर लागू नहीं हुई है।	अवीकारात्मक। बिना एपीएल/बी0पी0एल0 के सभी व्यक्ति जो 60 वर्ष से अधिक वृद्ध, वृद्धा एवं 18 वर्ष से अधिक विधवा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 10,500/– रु0 तथा शहरी क्षेत्र में 12500/– रु0 है, को उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि पहले से स्वीकृति आदेश प्राप्त हजारों की संख्या में पेंशनधारियों का पेंशन पिछले एक वर्षो से उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित नहीं किया गया है।	आंशिक स्वीकारात्मक। स्वीकृत सभी पेंशनधारियों को स्टेट पेंशन पोर्टल पर अपलोड कर बैंक खाते में DBT के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त दोनों खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तत्काल बिना एपीएल/बी0पी0एल0 के भेदभाव के सभी को पेंशन मुहैया कराना चाहती है तथा स्वीकृत्यादेश प्राप्त पेंशनधारियों को बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नागत सभी अहर्त्ता प्राप्त व्यक्तियों जिनके पेंशन की स्वीकृति की जा चूकी है, परन्तु स्टेट पेंशन पोर्टल पर उनका नाम अपलोड नहीं हो सका है उन्हें स्टेट पोर्टल पर अपलोड कर निधि की उपलब्धता के अनुसार पेंशन राशि का भुगतान प्रक्रियारत है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

ज्ञापांक – म० स0/तारा0 प्रश्न – 435/2015– 1909 राँची, दिनांक 26/8/ 2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके विभागीय ज्ञाप सं0– 2354, दिनांक– 20.08.2015 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/15

(शिवजी चौपाल)

(143)

श्री संजीव सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–37 का उत्तर :

क्र0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री संजीव सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–37	श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	
1	क्या यह बात सही है कि जामाडोबा झरिया डिवीजन, धनबाद के टाटा कोलियरी खदानों में कार्यरत अस्थायी मजदूरों का सेवा स्थायी किया गया है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि टाटा प्रबंधन द्वारा 15 वर्षों से कार्यरत अस्थायी मजदूरों को औद्योगिक अधिनियम के विपरीत श्रम कानून का उल्लंघन कर हटा दिया गया है;	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा–2 के उपधारा (क) में निहित उपबंधों के अनुसार इस स्थापना के लिए सक्षम सरकार केन्द्र सरकार है एवं राज्य सरकार के द्वारा इस पर कोई मंतव्य गठित किया जाना नियमानुकूल नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि दिनांक 28.03.2011 को तत्कालीन मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड द्वारा टाटा कोलियरी प्रबंधन के समक्ष पारित आदेशानुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा–10(1) (अ) के आलोक में 114 अस्थायी कामगारों की सेवा दिनांक 15.08.2011 तक निश्चित रूप से स्थायी करने का निर्णय लिया गया था;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 114 अस्थायी कामगारों का सेवा स्थायीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस संबंध में तत्कालीन माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत मध्यस्थ के रूप में लिये गये निर्णय/आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में पत्रांक–925 दिनांक 11.05.2012, स्मार पत्र–1563 दिनांक 13.08.2012, पत्रांक–542 दिनांक 21.03.2013 तथा पत्रांक–1841 दिनांक 02.09.2013 द्वारा सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को माननीय मंत्री द्वारा दिनांक 13.06.2011 को किये गये निर्णय के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन करने तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत भूतलक्षी प्रभाव से मध्यस्थ की शक्तियाँ प्रत्यायोपित करने का अनुरोध किया गया था। इसके आलोक में उप सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 30.10.2013 के द्वारा यह जानकारी दी गयी कि चूँकि इस स्थापना के लिए सक्षम सरकार को मशीनरी तथा मध्यस्थ के रूप में दिये गये माननीय मंत्री के आदेश विधि सम्मत नहीं है एवं उनके द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध को ठुकरा दिया गया है। चूँकि इस स्थापना में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई केन्द्र सरकार द्वारा की जानी है एवं उनके द्वारा कंडिका–3 में उल्लेखित आदेश के कार्यान्वयन की सहमति नहीं दी गयी है। अतः अब राज्य सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्रमा0का0–02(वि0स0)–12/2015 श्र0नि0 1558 राँची दिनांक 27/8/2015

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–प्र0–2457 दिनांक 24.08.2015 के अनुपालन में 200 प्रतियों में/अवर सचिव, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, (सरकार पक्ष) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/08/15

(कंचन अंजोलिन मुण्डू)
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

144

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 11 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि 500 शय्या वाले सदर अस्पताल, राँची का भवन वर्ष 2013–14 में ही बनकर तैयार है;		स्वीकारात्मक है ।
2. क्या यह बात सही है कि नवनिर्मित सदर अस्पताल, राँची का संचालन 31 जुलाई 2015 तक नहीं किया जा सका है, फलस्वरुप सुपर स्पेशियलिटी की सेवा से लोग वंचित हैं;		आंशिक स्वीकारात्मक है । इस राज्य के लोगों को सुपर स्पेशियलिटी की सेवा रिम्स, राँची में प्राप्त हो रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि 500 शय्यावाले सदर अस्पताल, राँची का संचालन कब तक करना चाहती है;		मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के आलोक में पब्लिक–प्राईवेट पार्टनरशीप के अन्तर्गत इस अस्पताल के संचालन हेतु नियुक्त ट्रान्जेक्सन एडवाईजर द्वारा तैयार किए गए बीड डॉक्यूमेन्ट के आधार पर निविदा प्रकाशित किया गया । तीन निविदा प्राप्त हुआ । इसमें से एक निविदा तकनीकी रुप से अयोग्य पाया गया । दो निविदादाताओं का निविदा तकनीकी रुप से योग्य पाया गया एवं इन दोनों का वित्तीय बीड खोला गया । वित्तीय बिड खोलने के बाद एक परिवाद पत्र के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुआ कि मे0 टेकनोइण्डिया के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज है, जिसे निविदा में छिपाया गया । मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमिटी के समक्ष वित्तीय बिड एवं दर्ज प्राथमिकी की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत किया गया । स्टीयरिंग कमिटी द्वारा इसे एकल निविदा मानते हुए निविदा को निरस्त कर दिया गया । पुनः निविदा प्रकाशित कराया गया परन्तु एक भी निविदा प्राप्त नहीं हुआ । प्री–बिड में भाग लेने वाले सभी कम्पनी को पत्र लिखकर यह पूछा गया कि यदि निविदा की शर्तों में कोई सुधार चाहते हों तो सुझाव दें । नारायण हृदयालय, बैंगलोर से एकमात्र प्रस्ताव प्राप्त हुआ । इस प्रस्ताव के अनुसार अस्पताल भवन को पूर्ण करने एवं मशीन–उपकरण आदि अधिष्ठापित करने का कार्य विभाग का होगा एवं 75 प्रतिशत बेड सी0जी0एच0एस0 दर पर होगा । ट्रॉन्जेक्शन एडभाइजर द्वारा सुझाए गए विकल्पों पर उच्च स्तरीय निर्णय लेने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 72 / 15– 714(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 27-8-15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2226 / वि0स0, दिनांक 18.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15

सरकार के उप सचिव ।

145

श्री रघुनन्दन मंडल, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 28-08-15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 –अ0सू0 –24

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रघुनन्दन मंडल मा0 स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0 मंत्री, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के प्रखण्ड– मोहम्मदगंज पंचायत गोराडीह अन्तर्गत ग्राम– भाली में वर्ष– 2012 में प्राथमिक उप स्वास्थ्य भवन बनकर तैयार है ;	स्वीकारात्मक । पलामू जिला के प्रखण्ड– मोहम्मदगंज पंचायत गोराडीह अन्तर्गत ग्राम– भाली में स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन का निर्माण हो चुका है।
2. क्या यह बात सही है कि जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक डाक्टर, नर्स एव अन्य कर्मियों का पदस्थापन नहीं होने के कारण शुभारंभ नहीं हो पाया है ;	स्वीकारात्मक। उक्त उपकेन्द्र के अधिसूचित कर चिकित्सा कर्मियों का पदस्थापन एक माह के अन्दर किया जाएगा।
3. क्या यह बात सही है कि गोराडीह पंचायत के अन्तर्गत ग्रामों के लोगों, रोगियों को आपातकालीन समेत अन्य इलाज कराने में कठिनाई हो रही है,	गोराडीह पंचयात के अन्तर्गत ग्रामों के लोगों का आपातकालीन चिकित्सा सुविधा स्वास्थ्य उपकेन्द्र बटउआ एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैदरनगर से दिया जाता है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लाखों रुपया से बना भवन का उपयोग रोगियों के समुचित ईलाज के लिए डाक्टर, नर्स समेत अन्य कर्मियों का पदस्थापना करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक– 15/ वि0स0–08-76/15– 349(15)   दिनांक–27-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0– 2352, दिनांक– 20-08-15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/15
सरकार के उप सचिव ।

Tiwari

(46)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–38 के संबंध में प्रश्नोत्तर ।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राँची एयरपोर्ट के विस्तारीकरण योजना में भूमि अधिग्रहण में मुआवजा राशि सही रैयतों के बदले दलालों को दे दी गई है;		अस्वीकारात्मक। गलत व्यक्तियों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में कतिपय शिकायतें प्राप्त है, जिसपर जाँचोपरान्त यथोचित कार्रवाई की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि तत्कालीन भू–अर्जन पदाधिकारी (DLO) श्री सुरजीत कुमार सिंह के कार्यकाल 2014–15 में यह बड़े पैमाने पर किया गया है;		अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि (क) रैयत श्री विनोद उराँव, पिता–स्व0 मांगा उराँव, ग्राम–हेथु जिला राँची की कुल जमीन 40 डी0 की मुआवजा राशि 33 लाख 97 हजार 363 रू0 नहीं देकर श्री विरू तिर्की, ग्राम–लटमा, राँची को दिया गया;		(क) रैयत श्री बिनोद उरांव, पिता–स्व0 मांगा उरांव द्वारा निबंधित केवाल संख्या–11083 दिनांक–12.05.2010 के द्वारा श्री बिरू तिर्की को विक्रय किया गया है। तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी (प्रश्न0–02 में अंकित पदाधिकारी के पूर्व पदाधिकारी) द्वारा अंचल अधिकारी नामकुम के पत्रांक–807, दिनांक–20.08.2011 को प्राप्त प्रतिवेदन, कार्यालय अमीन, कानूनगो के जांच प्रतिवेदन के आधार पर खाता सं0–57, प्लॉट सं0–511 रकबा–40 डी0 भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान दिनांक–20.08.2011 को किया गया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बिनोद उरांव अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी।
	(ख) हिनु की निर्मला देवी और राजेश कुमार के 36 डी0 जमीन का 30 लाख 60 हजार रूपये को रविकिरण साहु को दिया गया;		(ख) मौजा–हेथु, खाता सं0–14, प्लॉट सं0–1300, 1204 एवं 1200 की रकबा–47.93 एकड़, 24.79 एकड़ तथा 0.01 एकड़ भूमि का मुआवजा राशि–62,61,340.00 रू0 का भुगतान तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी (प्रश्न संख्या–02 में अंकित पदाधिकारी के पूर्व पदाधिकारी) द्वारा विधिवत् सुनवाई के पश्चात् आदेश पारित कर दिनांक–12.03.2013 को भुगतान किया गया है।
	(ग) डोरण्डा की पवन रेखा देवी के 36 डी0 जमीन का मुआवजा दीपक वर्मा को गलत तरीके से भुगतान कर दिया गया है;		(ग) खाता सं0–14, प्लॉट सं0–1300, रकबा–0.24 एकड़ भूमि दीपक वर्मा, पिता–स्व0 छत्रधारी राम को अमीन एवं कानूनगो के जांच प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक–26.03.2015 को मुआवजा राशि भुगतान किया गया है। भुगतान

		के पश्चात् गलत भुगतान होने की बात संज्ञान में आने पर दीपक वर्मा को भुगतान की गई राशि 18% ब्याज के साथ वापस करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर उनके द्वारा गलत भुगतान प्राप्त करने को लिखित रूप में स्वीकार किया गया है। राशि वापस नहीं करने के कारण उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसका काण्ड संख्या–224/15, दिनांक–04.07.2015 है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राँची के तत्कालीन (DLO) भू–अर्जन पदाधिकारी के कार्यकाल में मुआवजे राशि वितरण की उच्च स्तरीय जाँच कराकर सही रैयतों को मुआवजा राशि देते हुए दोषी पदाधिकारी के खिलाफ कानुनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	कण्डिका 'ग' के प्रतिपक्ष में जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा विस्तृत जांच कराई गयी है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के विरूद्ध उपायुक्त, राँची द्वारा उनके पत्रांक–203 (i/स्था0), दिनांक–26.08.15 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची से विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई है, जिसकी प्रति राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को दिनांक–27.08.2015 को प्राप्त हुई है। इस पत्र के आलोक में यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–8बी0/भू0अ0नि0 (वि0स0) अ0सू0–189/2015....793/(रा)/रा0 दिनांक– 27-8-15

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2458 वि0स0, दिनांक–24.08.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/विभागीय मंत्री कोषांग एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-8-2015
सरकार के उप सचिव

(147)

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 28.08.2015 को पूछे जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या – अ0सू0 16 का उत्तर :

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0 16	श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
क्या मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम एन0जी0ओ0 के माध्यम से करायी जा रहे हैं,	झारखण्ड कौशल विकास मिशन के द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), नई दिल्ली/NSDC के सेक्टर स्कील काउंसिल से सम्बद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है। कुछ प्रशिक्षण NSDC द्वारा सीधे प्रारम्भ किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कौशल विकास कार्यक्रम से बेरोजगार युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है,	कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से बेरोजगार युवको को रोजगार परक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य के सभी प्रखण्ड मुख्यालयों में कौशल विकास केन्द्र खोलकर बेरोजगार युवकों को कौशल विकास योजना के तहत् प्रशिक्षण देना चाहती है, हाँ तो, कब तक नहीं तो क्यों?	सरकार चरणबद्ध तरीके से कौशल विकास केन्द्र खोलकर बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करेगी। साथ ही संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा भी सीधे प्रशिक्षण झारखण्ड के युवक/युवतियों को देना जारी रहेगा।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक : ज्ञा0कौ0वि0मि0–203/2015 627 राँची, दिनांक : 27/8/15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– प्र0–2408 वि0स0, दिनांक 22.08.2015 के अनुपालन में 200 प्रतियों में/अवर सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग (सरकार पक्ष), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/08/15
(कंचन अंजलि तुप्पू)
उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं
कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 28.08.2015 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या – 16

पूरक सामग्री

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के साथ झारखण्ड कौशल विकास मिशन का सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर (MoU) दिनांक 22.03.2015 को माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड एवं केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री के समक्ष किया गया।

अनुलग्नक :– 01

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से संबद्ध संस्था है। इसके द्वारा झारखण्ड में कौशल विकास संबंधी कार्यों में तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय कौशल गुणवत्ता फ्रेमवर्क (NSQF) अधिसूचित किया गया है। इसी के आधार पर राज्य में सभी प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किये जाने है।

अनुलग्नक :– 02

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा विभिन्न सेक्टर में कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप संचालित करने के लिये 32 सेक्टर स्कील काउंसिल (SSC) बनाये गये हैं।

  राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के द्वारा गठित किये गये 32 सेक्टर स्कील काउंसिल (SSC) देश भर में कौशल विकास कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं (Training Service Provider) को संबद्धता प्रदान किया जाता है।

अनुलग्नक :– 03

- झारखण्ड कौशल विकास मिशन को राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने का दायित्व प्राप्त है।

- झारखण्ड कौशल विकास मिशन के द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)/सेक्टर स्कील काउंसिल से संबद्ध प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करने की प्रस्तावित योजना बनाने का काम अंतिम चरण पर है। योजना को स्वीकृति मिलने पर प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

  कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किये जाएंगे।

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) से संबद्धता प्राप्त करने की प्रकिया संबंधी नियमावली इसके वेबसाईट www.nsdcindia.org पर उपलब्ध है। इसके लिये निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव भेजा जाना है। कौशल विकास के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों के अलावा विभिन्न संस्थाओं के कन्सोर्टियम द्वारा ऐसे प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं। इन प्रस्तावों को विभिन्न प्राथमिकता के सेक्टर के आलोक में भेजा जाना है तथा प्रोजेक्ट के माध्यम से अगले 10 वर्षों में संभावित प्रशिक्षुओं की संख्या की जानकारी दी जानी है। ऐसे प्रस्तावों की स्वीकृति के उपरांत NSDC द्वारा ऋण अथवा इक्विटी या शेयर के आधार पर सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

अनुलग्नक :– 04

- झारखण्ड कौशल विकास मिशन द्वारा सेक्टर स्किल काउंसिल के गाईड लाईन के अनुरूप जॉब रौल निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस पर सहमति मिलने का उपरांत तकनीकी प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा।

अनुलग्नक :– 05

मिशन निदेशक,
झारखण्ड कौशल विकास मिशन,
राँची

(148)

श्री राशि भूषण सामाड़, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0– 08 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री राशि भूषण सामाड़, मा0स0वि0स0–क्या मंत्री, स्वास्थ्य, वि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तरदाता:– श्री रामचन्द्र चन्दवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 वि0 शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर अनुमण्डल अस्पताल में वर्षों से एक्स–रे मशीन एवं अल्ट्रासाउण्ड मशीन नहीं होने के कारण चक्रधरपुर अनुमण्डल के गरीब मरीजों को उक्त सुविधा के लिए निजी क्लिनिकों पर निर्भर रहना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। (क) सदर अस्पताल, चाईबासा तथा एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर में एक्स–रे मशीन एवं अल्ट्रासाउण्ड मशीन की सुविधा उपलब्ध है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित सुविधा के लाभ हेतु गरीब मरीजों को अत्यधिक राशि खर्च करनी पड़ती है, जिससे मरीजों को काफी आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, क्या सरकार जनहित में खण्ड–1 में वर्णित अनुमण्डल अस्पताल में एक्स–रे मशीन एवं अल्ट्रासाउण्ड मशीन का लाभ उक्त क्षेत्र के गरीब मरीजों को उपलब्ध करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभाग द्वारा एक्स–रे मशीन एवं अल्ट्रासाउण्ड मशीन के क्रय हेतु विभागीय पत्रांक 82 (6)ब, दिनांक 30.05.15 के द्वारा मशीन उपकरण क्रय हेतु आवंटन आदेश निर्गत कर दिया गया है। अनुमण्डल अस्पताल, चक्रधरपुर में एक्स–रे मशीन एवं अल्ट्रासाउण्ड मशीन के संचालन हेतु रेडियोलॉजिस्ट का पद सृजित है तथा उक्त पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय पत्रांक 980 (3), दिनांक 28.07.15 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अभियाचना भेज दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–15/वि0स0–08–75/2015 - 341(15) राँची, दिनांक– 27-8-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 2228 दिनांक 18.08.15 के आलोक में 20 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

27.8.15
सरकार के अवर सचिव।

Nand Kumar, Health Deptt.

(149)

श्री नारायण दास, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा झारखण्ड विधान सभा में दिनांक 28.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–35 के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला अन्तर्गत सदर अस्पताल एवं सभी स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों पर यूनिट के आधार पर चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मी की कमी है,	स्वीकारात्मक। देवघर जिला में स्वीकृत बल के अनुपात में पदस्थापित चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों की संख्या कम है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित जिला के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों में परिचारिका श्रेणी "A" की चिकित्सा कर्मी नहीं रहने के कारण महिलाओं के प्रसव में भी आये दिन कठिनायाँ हो रही है ;	अस्वीकारात्मक। परिचारिका श्रेणी "A" की स्वीकृत बल 14 के विरूद्ध 8 पदस्थापित है। इसके अतिरिक्त एन0एच0एम0 से 10 परिचारिका श्रेणी "A" कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 373 ए0एन0एम0 कार्यरत है जिनके द्वारा प्रसव कार्य कराया जाता है। इन कर्मियों को प्रसव कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त है। महिलाओं के प्रसव में इन कर्मियों द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार देवघर जिला के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों में यूनिट के आधार पर चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्थिति उपर्युक्त खण्डो में स्पष्ट कर दी गयी है। चिकित्सकों के रिक्त पद के विरूद्ध झारखण्ड लोक सेवा आयोग से नियुक्ति हेतु अनुशंसित 380 चिकित्सकों में से पदस्थापन कर चिकित्सकों की कमी को यथासंभव दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा। अन्य चिकित्सा कर्मियों यथा– परिचारिका श्रेणी "A", फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्राविधिक की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। यथा साध्य इन पदों पर नियुक्ति की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03 / वि0 स0–03–67 / 2015 1062 (3) राँची, दिनांक: 27/8/15

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 2453 दिनांक 24.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15
सरकार के अवर सचिव

(150)

माननीय विधायक श्री राम कुमार पाहन द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 05 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत नामकोम प्रखण्ड के टाटीसिलवे क्षेत्र में एक भी सीकारी स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है;		अस्वीकारात्मक । नामकोम प्रखण्ड के टाटीसिलवे क्षेत्र में स्वास्थ्य उप केन्द्र, टाटीसिलवे कार्यरत है ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं रहने से घनी आबादी को स्वास्थ्य सेवा से वंचित रहना पड़ता हैं;		अस्वीकारात्मक । स्वास्थ्य उप केन्द्र, टाटीसिलवे में 4 ए0एन0एम0 पदस्थापित है । रोस्टर के अनुसार इस केन्द्र पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नामकोम से चिकित्सक जाते हैं तथा क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं । यहाँ प्रसव की भी सुविधा उपलब्ध है ।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई हैं;		उक्त क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में वृद्धि की कोई अधिकृत सूचना नहीं है । परन्तु इस क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को स्वास्थ्य उपकेन्द्र, टाटीसिलवे के अलावे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नामकोम/ सदर अस्पताल, राँची/रिम्स, राँची आदि में भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार टाटीसिलवे क्षेत्र में सौ शय्यावाली सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का विचार रखती है हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		वर्त्तमान में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए टाटीसिलवे क्षेत्र में 100 शय्यावाले अस्पताल की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 70/15– 707(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 27·8·15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2122/वि0स0, दिनांक 17.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15
सरकार के उप सचिव ।

(151)

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई0–गवर्नेंस विभाग

झारखण्ड सचिवालय, दुर्गा, राँची–4

पत्रांक– सू0प्रौ0/विधानसभा प्रश्न–112/2015 – 1945 राँची, दिनांक 27/8/2015

प्रेषक,

शिव विलास साह,
उप निदेशक।

सेवा में,

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय,
झारखण्ड, राँची।

विषय :–श्री बादल पत्रलेख, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.08.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–13 के संबंध में।

प्रसंग:– मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग का पत्रांक 1445 दिनांक 24.08.15 एवं आपका ज्ञापांक स0–प्र0 2220/वि0स0 दिनांक 18.08.15

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में वांछित उत्तर सामग्री पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

27/8/15

उप निदेशक

ज्ञापांक:– 1945 राँची,दिनांक:– 27/8/15

प्रतिलिपि:– प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव/अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को उनके पत्रांक–1445 दिनांक 24.08.15 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

27/8/15

उप निदेशक

क्र0	प्रश्नकर्ता—श्री बादल पत्रलेख, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता— प्रभारी मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के इन्टर पास 1200 युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स, आई0टी0 एवं एडवान्स्ड कम्प्यूटिंग के विषय पर कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देने के लिए पुणे की एक एजेन्सी सेन्टर फोर डेवलपमेन्ट इन एडवान्स्ड कम्प्यूटिंग को 44.02 लाख रुपये तथा कलकत्ता की एजेन्सी नेशनल इन्स्टीच्यूट एण्ड इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी को अग्रिम का भुगतान किया गया, परन्तु अब तक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं हो सका है?	आंशिक स्वीकारात्मक (National Institute of Electronics & Information Technology-(NIELIT) को राज्य के SC/ST छात्रों को तीन courses यथा– a) Advance Diploma in Hardware, Networking & Information Security (5 महीना का कोर्स, योग्यता– 10+2/Polytechnic) b) Computer Hardware, Networking & PC Maintenance Solution (4 महीना का कोर्स, योग्यता– 10+2/ITI) c) DTP, web page Development & Digital Photography (3 महीना का कोर्स, योग्यता– 10+2) में कौशल विकास हेतु प्रथम चरण में 10 जिलों – गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, सरायकेला–खरसाँवा, रामगढ़, चतरा, दुमका, पाकुड़ एवं जामताड़ा में प्रशिक्षण देने हेतु pre-receipt bill के आधार पर NIELIT को 30 लाख रू0 भुगतान की गई है। NIELIT द्वारा गुमला जिला में प्रशिक्षण दी जा रही है। अन्य 09 जिलों के लिए संबंधित उपायुक्तों के साथ Video Conferencing कर सितम्बर के प्रथम सप्ताह से प्रशिक्षण आरंभ करने हेतु उपायुक्तों एवं NIELIT को निदेश दिनांक 19.08.15 को दिया गया है। C-DAC को 08 (आठ) विभिन्न कोर्सेज (प्रत्येक कोर्स 4 माह का, योग्यता– :Any Engg./Science Graduate with Mathematics up to 10+2 level) यथा– CBC, CWT, CGSS, CCAP, CCJP, CCNA, CCWT तथा CCMWD में कौशल विकास के तहत SC/ST छात्रों का दो केन्द्रों यथा–रांची तथा धनबाद में प्रशिक्षण देने के लिये रू0 49.20 (उनचास लाख बीस हजार) का भुगतान pre-receipt bill के आधार पर किया गया है। उनके द्वारा उक्त दोनों जिलों में प्रशिक्षण आरम्भ कर दी गई है।
2.	यदि उपर्युक्त प्रश्नखंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कौशल विकास के उक्त योजना कार्यक्रम को राज्य के युवाओं के लिए प्रारम्भ कराने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक (कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।)

पूरक सामग्री

(1) NIELIT तथा C-DAC द्वारा राज्य के SC/ST Category के क्रमशः 600 तथा 640 अर्थात् कुल 1240 छात्रों/अभियर्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।

(2) प्रथम चरण में NIELIT द्वारा 10 जिलों (गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, सरायकेला–खरसाँवा, रामगढ़, चतरा, दुमका, पाकुड़ एवं जामताड़ा) तथा C-DAC द्वारा 2 जिलों (रांची एवं धनबाद) में प्रशिक्षण दी जानी है।

(3) NIELIT द्वारा निम्नलिखित 3 विभिन्न कोर्स में प्रशिक्षण दी जानी है।

S.No.	Name of the course	Eligibility	Duration	Batch Size
1.	Advance Diploma in Hardware, Networking & Information Security	10+2/Polytechnic	5 months	20
2.	Computer Hardware, Networking & PC Maintenance Solution	10+2/ITI	4 months	20
3.	DTP, web page Development & Digital Photography	10+2	3 months	20

(4) C-DAC द्वारा निम्नलिखित 8 विभिन्न कोर्स में प्रशिक्षण दी जानी है।

S.No.	Name of the course	Eligibility	Duration	Batch Size
1.	Certificate in Business Computing (CBC)	Any Engg./Science Graduate with Math up to 10+2 level	4 months	25
2.	Certificate in Advanced Web Technology (CWT)	As Above	4 months	25
3.	Certificate Course in Global Support Services (CGSS)	As Above	4 months	25
4.	Certificate Course in Android Programming (CCAP)	As Above	4 months	25
5.	Certificate Course in Java Programming (CCJP)	As Above	4 months	25
6.	Certificate Course in Network Administration (CCCNA)	As Above	4 months	25
7.	Certificate Course in Web Technology (CCWT)	As Above	4 months	25
8.	Certificate Course in Multimedia & Website Designing (CCMWD)	As Above	4 months	25

(6) NIELIT द्वारा संबंधित जिला के SC/ST छात्र–छात्राओं का चयन Local District Administration के सहयोग से खुली विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा। खुली विज्ञापन में प्राप्त आवेदकों का interview एवं aptitude test लिया जायेगा। तदोपरांत अंतिम रूप से चयन सूचि तैयार की जायेगी।

(7) C-DAC द्वारा राज्य के सभी जिलों से SC/ST छात्र–छात्राओं का चयन खुली विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर एवं परीक्षा के माध्यम से सूचि तैयार की जायेगी। तदोपरांत अंतिम रूप से चयनित छात्रों के नाम पर सरकार की सहमति ली जायेगी।

152

माननीय विधायक श्री फूलचन्द मण्डल द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 38 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
1. क्या यह बात सही है कि, धनबाद जिला स्थित गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, विराजपुर पंचायत के आस–पास के 30 गांवों एवं विराजपुर से सटे टुण्डी प्रखण्ड के लगभग 20 गांवों के ग्रामीणों हेतु चिकित्सा सुविधा के नाम पर एक मात्र स्वास्थ्य केन्द है;		अस्वीकारात्मक । धनबाद जिलान्तर्गत गोविन्दपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, विराजपुर से स्वास्थ्य उपकेन्द, सोनरिया– 2 कि0मी0, काड़ालागा– 4 कि0मी0, पालाईडीह– 5 कि0मी0 तथा टुण्डी प्रखण्ड का स्वास्थ्य उपकेन्द, केसका की दूरी लगभग 8 कि0मी0 है । इन सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से विराजपुर पंचायत के आस–पास के गाँवों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है ।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित सुदूर गांवों में निवास कर रहे कुल आबादी के बेहतर ईलाज हेतु जिला मुख्यालय अवस्थित पी0एम0सी0एच0 अस्पताल धनबाद जाना पड़ता है । ;		आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, विराजपुर तथा अन्य चार स्वास्थ्य उपकेन्द्रों यथा– सोनरिया, काड़ालागा, पोलाईडीह तथा केसका के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है । बेहतर ईलाज हेतु मरीज एफ0आर0यू0, गोविन्दपुर एवं पी0एम0सी0एच0, धनबाद जाते हैं ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो राज्य सरकार विराजपुर में एक रेफरल अस्पताल बनाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों नहीं ?		भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर भूमि एवं बजट में राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अगले वित्तीय वर्ष 2016–17 में समीक्षोपरान्त निर्णय लिया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 93 / 15– 708(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 27.8.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2456 / वि0स0, दिनांक 24.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15

सरकार के उप सचिव ।

(153)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–28.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ.सू.–06 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न	उत्तर
	श्री प्रदीप यादव, माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला में डाबर ग्राम की 12 एकड़ जमीन को भू–माफियाओं ने गैर कानूनी ढंग से हड़प लिया है,	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार देवघर स्थित मौजा–धौनी, थाना नं.–201 चांदपुर, थाना नं.–261 के अन्तर्गत डाबर इण्डिया लिमिटेड हेतु 12.73 एकड़ भूमि का अधिग्रहण संथाल परगना रेन्ट रेगूलेशन II pg 1886 की धारा–25-A के तहत Court of WardsEstate Rohini द्वारा L.A. Case no. 03/1943-44 के तहत कराया गया। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के WPC no.5222/2012 निर्मय कुमार शाहाबादी एवं अन्य–बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–12.03.2013 को पारित आदेश के आलोक में उक्त डाबर ग्राम की भूमि निबंधन दलील संख्या–2015, दिनांक–04.10.2013 को निर्मय कुमार शाहाबादी के पक्ष में किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध LPA oath no.-5312/09-04-2014 के माध्यम से निम्नांकित बिन्दुओं पर LPA दायर किया गया :– 1– LPA की कंडिका– III में उल्लेखित उक्त पारित आदेश में धारा–54 Transfer of Property Act अधिनियम की धारा–17 एवं 49 पर ध्यान नहीं रखा गया है। 2– LPA की कंडिका सं.–VIII में उल्लेखित है कि SPT Act की धारा–53(6) को भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–44 के तहत अधिग्रहित भूमि जिस कार्य एवं उद्देश्य हेतु अधिग्रहित की जाती है अगर उक्त उद्देश्य की पूर्ति न हो तो उक्त भूमि सरकार में निहित हो जाएगी। साथ ही, उक्त भूमि किसी दूसरे प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार उक्त भूमि का हस्तांतरण किसी अन्य उद्देश्य के लिए नियम संगत एवं वैद्य नहीं होगा। 3– LPA की कंडिका–IX में उल्लेखित है कि प्रश्नगत भूमि को किसी भी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का न्यायादेश या आदेश द्वारा बसौढ़ी घोषित नहीं किया गया है। उक्त भूमि का अनियमित ढंग से क्रय किये जाने का मामला पाये जाने के फलस्वरूप टाईटल सूट नं.–64/2015 State Vrs. Dabur India Limited Sub Ordinate Judge-I देवघर में सत्व वाद दायर किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि डाबर ग्राम उद्योग बंद हो जाने के कारण मूल रैयत अपनी जमीन वापसी करने की माँग कर रहे हैं,	स्वीकारात्मक। डाबर ग्राम उद्योग बंद हो जाने के कारण मूल रैयत अपनी जमीन की वापसी के लिए सुमित्रा देवी एवं अन्य–बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिव्यू नं.–89/2013 दायर किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मूल रैयतों को जमीन वापस करने का विचार रखती है?	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

कृ.पृ.उ.

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–8बी./भू.अ.नि. वि.स.(देवघर)अ.सू.–181/2015...791/रा., राँची, दिनांक–27-8-15

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2120/वि.स., दिनांक–17.08.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/15

सरकार के अवर सचिव

154

श्रीमती विमला प्रधान, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0– अ0सू0–3 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ताः– श्रीमती विमला प्रधान– क्या मंत्री, स्वास्थ्य, वि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	उत्तरदाताः– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 वि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि राजकीय मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र (DMHP) के **2.5** करोड़ रू0 राज्य सरकार के पास 2014 ई0 से पड़ें है उक्त राशि केन्द्र सरकार द्वारा (NRHM) के माध्यम से राज्य सरकार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु उपलब्ध करायें गयें है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र (DMHP) के मद में दिनांक 31.03.2015 को रू0 1,66,40,000.00 (एक करोड़ छियासठ लाख चालीस हजार) रूपये तथा दिनांक 21.04.2015 को रू0 83,20,000.00 (तिरासी लाख बीस हजार) रूपये कुल रू0 2,49,60,000.00 (दो करोड़ उनचास लाख साठ हजार) रूपये केन्द्र सरकार द्वारा एन0आर0एच0एम0 को प्राप्त हुआ। जो दिनांक 22.07.2015 तथा 25.08.2015 को रिनपास को पूर्ण राशि उपलब्ध करा दी गई। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में रिनपास द्वारा 2,43,10,704 (दो करोड़ तैतालीस लाख दस हजार सात सौ चार) रूपये अपने पास उपलब्ध विकास मद से मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों के उपचार हेतु दवा एवं स्थापना मद में व्यय किया जा चुका है। शेष राशि 6,49,296 (छः लाख उनचास हजार दो सौ छियानबे) रूपये शीघ्र व्यय कर दिया जायेगा।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य में तीन जिलों डालटनगंज, दुमका एवं गुमला में रिनपास द्वारा मानसिक रोगीयों का ईलाज किया जाता है ;	स्वीकारात्मक। तीनों जिलों यथा–मेदनीनगर (डालटनगंज), दुमका एवं गुमला में मानसिक रोगियों का ईलाज रिनपास द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत् जमशेदपुर में भी मानसिक रोगियों का ईलाज किया जा रहा है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, क्या राज्य सरकार अन्य जिलों में भी मनोरोगी स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित राशि का उपयोग जनहित में करना चाहती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित राशि तीन जिलों मेदनीनगर (डालटनगंज), दुमका एवं गुमला के लिए है। उक्त राशि जनहित में इन्हीं जिलों में खर्च किया जा रहा है। अन्य जिलों के लिए जब राशि भारत सरकार से आवंटित की जायेगी तब इसे शेष जिलों में लागू किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–12/रिनपास (वि0स0)–05–02/2015 1250(2) राँची, दिनांकः– 27/08/15

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 2124 दिनांक 17.08.15 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

27.8.15

सरकार के अवर सचिव।

Nand Kumar, Health Deptt.

~~116~~ (155)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 12 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल जिला बनने के 25 वर्षों के बाद भी सदर अस्पताल की सुविधा से वंचित है;		अस्वीकारात्मक है । वस्तुत गढ़वा जिला मुख्यालय में सदर अस्पताल पुराने भवन में कार्यरत है । नया भवन में ओ0पी0डी0 संचालित है ।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित सदर अस्पताल का 6 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से नया भवन का कार्य वर्ष 2007 से प्रारंभ हुआ जो अभी तक अधूरा है एवं गढ़वा जिला में चिकित्सकों के कुल सृजित पद 140 के विरुद्ध मात्र 44 चिकित्सक है एवं बेड की कमी होने के कारण मरीजों को फर्स पर सोना पड़ता है, प्रत्येक वर्ष सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है;		आंशिक स्वीकारात्मक है। सदर अस्पताल, गढ़वा के भवन निर्माण की स्वीकृति 607.13 लाख रुपए की लागत पर विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0– 156(6)ब दिनांक 29.12.06 द्वारा दी गई है । कार्य एजेन्सी एन0बी0सी0सी0 द्वारा आंशिक कार्य ही किया गया है । उनके द्वारा संपादित कार्यों की गति को देखते हुए विभाग द्वारा निदेश दिया गया है कि वह वर्तमान संरचना को पूर्ण करते हुए उसे शीघ्र हस्तान्तरित करें । शेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु विभागीय मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड 1 एवं 2 में वर्णित गढ़वा अस्पताल के अधूरे कार्यों को पूरा कराते हुए सदर अस्पताल के निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप चिकित्सकों की बहाली कर आम जनता को सुविधा मुहैया कराना चाहती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		जे0पी0एस0सी0 से 43 बैकलॉग रिक्ति के विरुद्ध तथा 336 सामान्य रिक्ति के विरुद्ध चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त है । शीघ्र ही इन्हें रिक्त पदों पर पदस्थापित कर चिकित्सकों की कमी दूर की जाएगी । आपूर्ति एवं सामग्री मद में गढ़वा जिला को 35,68,000/– रुपए का आवंटन सिविल सर्जन को उपलब्ध कराया गया है, जिससे बेड का क्रय किया जा सकता है ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 77/15– 720(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 27·8·15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2225/वि0स0, दिनांक 18.08.15 के क्रम में 5 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15

सरकार के उप सचिव ।

156

माननीया विधायक श्रीमती जोबा मांझी द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला
अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 07 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत सोनुवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनने के बाद से ही जर्जर अवस्था में तबदील हो चुका है;		आंशिक स्वीकारात्मक है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनुवा का पुराना भवन काफी जर्जर हो चुका है । इस स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कराया गया है ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त भवन की स्थिति खराब होने की वजह से स्वीकृत पद पर बहाल (नियुक्त) डॉक्टर एवं कनीय कर्मचारी भी वहाँ नहीं रहते हैं;		अस्वीकारात्मक है । नए आवासीय भवन में डॉक्टर एवं अन्य कर्मी शीघ्र आवासित हो जाएँगे । पुराने भवनों के जीर्णोद्धार के संबंध में मुख्य अभियन्ता से प्रतिवेदन माँगा जा रहा है । प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में जीर्णोद्धार पर निर्णय लिया जाएगा ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सोनुवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का जीर्णोद्धार एवं वहाँ के कर्मचारियों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		उपर्युक्त कंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 76/15– 721(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 27.8.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2227/वि0स0, दिनांक 18.08.15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15
सरकार के उप सचिव ।

(157)

श्री अनील कुमार मुरमू, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा झारखण्ड विधान सभा में दिनांक 28.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–33 के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के आदिवासी बहुल लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड में भयानक रूप से मलेरिया का प्रकोप देखते हुए लिट्टीपाड़ा पी0एच0सी0 प्रभारी ने तुरन्त दवा उपलब्ध कराने हेतु सरकार को लिखा है पर अबतक दवा उपलब्ध नहीं करायी गयी है ;	अस्वीकारात्मक। जिला स्तर से समुचित मात्रा में मलेरिया रोधी दवा लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड को उपलब्ध करा दी गयी है।
2.	क्या यह बात सही है, कि लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड में सात चिकित्सकों में से दो कनीय चिकित्सकों को सरकारी नियम के विपरीत पदस्थापन की गई है जबकि जिला मुख्यालय में वरीय तथा विभिन्न प्रखण्डों में वरीय चिकित्सक उपलब्ध है ;	स्वीकारात्मक। सिविल सर्जन द्वारा जिला मलेरिया पदाधिकारी एवं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी के पद पर जिला स्तर से की गयी प्रतिनियुक्ति को विभाग द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
3.	क्या यह सही है कि चिकित्सकों की कमी के कारण आदिवासी बहुल लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड जिसे वन बंधु कार्यक्रम में शामिल की गई है, स्वास्थ्य चिकित्सा प्रभावित हो रही है,	अस्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लिट्टीपाड़ा में 4 चिकित्सक पदस्थापित है। लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड में जगह–जगह स्वास्थ्य शिविर लगाकर कार्य योजना के अनुसार अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जा रही है। इसके अतिरिक्त 2 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 22 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के माध्यम से भी आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया करायी जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लिट्टीपाड़ा पी0एच0सी0 से जिला मुख्यालय में पदस्थापित किये गये चिकित्सकों को वापस लिट्टीपाड़ा भेजना चाहती है तथा भयानक मलेरिया के प्रकोप से बचाव के लिए तुरन्त दवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर के खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0 स0–03–63/2015 1059 (3) राँची, दिनांक: 26/8/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 2445 दिनांक 23.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.8.15
सरकार के अवर सचिव

श्री बिरंची नारायण, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–28.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ.सू.–14 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री बिरंची नारायण, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अन्तर्गत बोकारो इस्पात कारखाना बनने के बाद हजारों परिवार विस्थापित हुए हैं,		आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि बोकारो इस्पात कारखाना के निर्माणार्थ कुल 51 ग्रामों में भूमि अर्जन किया गया है, जिसमें से गृह प्रखंड से प्रभावित विस्थापितों को 18 पुनर्वास क्षेत्रों में बसाया गया है तथा 20 ग्रामों के विस्थापित अपने अर्जित गृह प्रखंड पर ही बसे हुए हैं उनके लिए पुनर्वास क्षेत्रों में भूमि चिन्हित है लेकिन वे अपने गृह प्रखंड को खाली कर पुनर्वास क्षेत्र में नहीं जाना चाहते है।
2.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिले के शहरी क्षेत्र में बसी माराफारी, नन् सेक्टर सहित लगभग 40 बस्तियों के विस्थापित नारकीय जीवन जी रहे हैं, और इन्हें बिजली, पानी, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है,		आंशिक स्वीकारात्मक। बी.एस.एल अन्तर्गत उक्त अधिग्रहित क्षेत्र में निम्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरकार द्वारा लाभुकों को दिया जा रहा है:– 1. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। 2. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन। 3. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन। 4. राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना। 5. पारिवारिक लाभ योजना। 6. क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित सरकारी विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति। 7. क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित सरकारी विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पोशाक आपूर्ति। 8. क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित सरकारी विद्यालयों के छात्राओं को साईकिल आपूर्ति। 9. आंगनबाड़ी योजनाओं के अन्तर्गत पोषाहार इत्यादि का वितरण। 10. जन वितरण प्रणाली का लाभ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो क्षेत्र के विस्थापितों सहित राज्य भर के विस्थापितों की समस्याओं के सम्यक निदान हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जाँच कमिटी बनाने और बोकारो की इन 40 बस्तियों को नियमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–6बी./भू.अ.नि. वि.स.(अ.सू.)–184/2015 787/रा., राँची, दिनांक– 26-8-15

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2213/वि.स., दिनांक–18.08.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26-8-15
सरकार के उप सचिव

Vidhan Sabha-13(Manoj)

(159)

श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.08.2015 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न सं0– अ.सू.–19 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अवस्थित मैथन पावर लिमिटेड की रेलवे लाईन निर्माण हेतु भू–अर्जन मुआवजा में 106 एकड़ भूमि अधिग्रहण दौरान फर्जी डीड पर 20 करोड़ रूपये का घोटाला हुआ है,	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। मैथन पावर लिमिटेड की रेलवे लाईन निर्माण हेतु कुल 11 (ग्यारह) मौजों में 78.72 एकड़ भूमि का अधिग्रहण तथा मुआवजा भुगतान किया गया है। अभिलेख में फर्जी डीड के आधार पर भुगतान पाने की सूचना उपलब्ध नहीं है। फर्जी डीड के संबंध में एक परिवाद पत्र प्राप्त है जिसकी जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद से कराई जा रही है। जाँचोपरांत शीघ्र विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
2. क्या यह बात सही है कि तत्कालीन उपायुक्त श्री प्रशांत कुमार द्वारा उक्त विषय पर यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जिनके द्वारा गलत भुगतान किया गया और जिन्होंने गलत भुगतान लिया उस पर प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए राशि वापसी का नोटिस दिया जाय परन्तु आज एक वर्ष के उपरान्त भी यह कार्रवाई सम्पन्न नहीं हो पाया,	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। फर्जी डीड से भुगतान के मामले में कार्रवाई की जा रही है। मैथन पावर लिमिटेड की रेलवे लाईन निर्माण से संबंधित फर्जी डीड के मामले में जिला अवर निबंधन, धनबाद द्वारा कुल 90 (नब्बे) दस्तावेजों के विक्रेता के विरूद्ध भारतीय निबंधन अधिनियम की धारा–82 के प्रावधान के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर राशि वापसी की कार्रवाई की जा रही है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब तत्कालीन उपायुक्त के निर्देश पर कार्रवाई की विचार रखती है, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–8वी./भू.अ.नि. वि.स. (अ.सू.)–185/15 292/रा., दिनांक– 27-8-15

प्रतिलिपि :–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2357/वि.स., दिनांक–20.08.15 के क्रम में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/8/15

सरकार के अवर सचिव।

Vidhan sabha (lalit)

(160)

श्री आलमगीर आलम, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्र0सं0–अ0सू0–31.

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0 क्या मंत्री, स्वा0,चि0शि0 एवं प0क0 विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी माननीय मंत्री, स्वा0,चि0शि0 एवं प0क0 विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि रांची जिलान्तर्गत नामकुम में अवस्थित झारखण्ड के ड्रग लैब में उपकरणों एवं लैब कर्मियों की कमी के कारण सभी तरह के दवाओं की शुद्धता की जांच नहीं हो पा रही है	अस्वीकारात्मक। वर्त्तमान में रांची जिलान्तर्गत नामकुम में अवस्थित झारखण्ड ड्रग लैब में कुल 209 प्रकार की औषधियों की शुद्धता की जांच हो रही है। अन्य दवाओं की जांच हेतु ड्रग लैब को सुदृढ़ किया जा रहा है।
2. क्या यह बात सही है कि ड्रग लैब में माईक्रोबायोलॉजी सेक्शन तथा इससे संबंधित उपकरण नहीं रहने के कारण किसी भी तरह के इन्जेक्शन की जांच नहीं हो रही है	स्वीकारात्मक – माईक्रोबाईलॉजी सेक्शन को सुदृढ़ करने की कार्रवाई की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यस्तरीय औषधि जांच प्रयोगशाला में सभी तरह के दवाओं की शुद्धता की जांच करने हेतु आवश्यक उपाय करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों?	सरकार के स्तर पर सुदृढ़ीकरण एवं रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जा रही है। प्रयोगशाला के कर्मियों की कमी पूरा करने के लिए पद सृजन हेतु नियमावली पर वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जांच प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि0स0–13–05 / 15– 124(16) रांची, दिनांक: 27/08/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–2447 दिनांक 23.08.15 के क्रम में 200(दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15

सरकार के अवर सचिव।

61

श्री आलमगीर आलम, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 28-08-15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्र०सं० –अ०सू०–32

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलमगीर आलम, मा० स०वि०स० क्या मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा० मंत्री, स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1. क्या यह बात सही है कि ब्लड बैंक, पाकुड़ की स्थापना वर्ष– 2010 में किया गया था जो वर्तमान में बन्द है ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि ब्लड बैंक, पाकुड के बन्द रहने से दुर्घटना इत्यादि में तत्काल ब्लड की आवश्यकता पड़ने पर घायल/रोगियों को ब्लड उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है ;	स्वीकारात्मक। ब्लड बैंक ईकाई, लिट्टीपाड़ा में लिंक किया गया है जिसमें अन्य मरीजों का ईलाज किया जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ब्लड बैंक, पाकुड को सुचारू रूप से चालू कराने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	शीघ्र ही ब्लड बैंक, पाकुड को प्रारम्भ करने हेतु प्रशिक्षित प्रयोगशाला प्रावैधिक एवं पैथोलोजिस्ट की पदस्थापना की जायेगी जिससे ब्लड बैंक की सुविधा मरीजों को प्राप्त हो सके।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक– 21/वि०स०–06-07/15– 346(21)　　　दिनांकः– 27-8-15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०– 2448, दिनांक– 23-08-15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपेन्द्र प्रसाद सिंह 27.8.15
सरकार के अवर सचिव ।

Tiwari

(162)

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का तृतीय (मानसून) सत्र में दिनांक 28.08.2015 को श्री राजकुमार यादव, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0 –अ0सू0–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न		उत्तर	
1.	क्या यह बात सही है कि, गिरिडीह जिलान्तर्गत धनवार विधान–सभा क्षेत्र में छात्राओं के कौशल विकास के लिए एक भी शिक्षण संस्थान नहीं है, जिससे इस क्षेत्र के छात्राओं को कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार धनवार में छात्राओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए पॉलिटेकनिक कॉलेज का निर्माण कराना चाहती है, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	2.	गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर में तकनीकी शिक्षा (डिप्लोमा) हेतु नये पोलिटेकनिक भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–2.त0शि0 / वि0स0– 45 / 15 2134 / राँची, दिनांक– 25.08.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2353 दिनांक 20.08.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/08/2015

(रविन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(163)

दिनांक–28.08.2015 को प्रो0 जय प्रकाश वर्मा, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–17 से संबंधित उत्तर सामग्रीः–

प्रश्नकर्त्ता (माननीय स0वि0स0 श्री जय प्रकाश वर्मा)	उत्तर (माननीय प्रभारी मंत्री प्रो0 चन्द्र प्रकाश चौधरी)
1. क्या यह बात सही है कि, झारखण्ड राज्य को मद्य मुक्त राज्य बनाने की कोई योजना नहीं है ?	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि मद्यपान से आए–दिन सड़क हादसे, महिला उत्पीड़न और राज्य का मानवीय संसाधन रोगग्रस्त नहीं हो रहा है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि मद्यपान से आए–दिन सड़क हादसे, महिला उत्पीड़न तथा मानवीय संसाधन रोगग्रस्त करने हेतु एकमात्र कारण नहीं है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में मद्य निषेध निषेधाज्ञा लागू करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार जनहित में मद्य निषेध नीति को प्रोत्साहित करने हेतु कृत संकल्पित है । इसके निमित्त झारखण्ड उत्पाद लेवल, निबंधन/नवीकरण एवं मद्य दर निर्धारण नियमावली, 2014 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राज्य में आपूरित मदिरा के प्रत्येक बोतल पर बड़े–बड़े साफ लाल अक्षरों में, वैधानिक चेतावनी, (बारड फॉन्ट) मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अथवा consumption of liquor is injurious to health अंकित करना अनिवार्य है। झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा–54 (बी.) एवं (सी.) के अनुसार किसी भी व्यक्ति, जिसने पूर्व से मदिरापान कर रखा हो तथा 21 वर्ष से कम आयु के हों, वैसे व्यक्तियों को मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित है । वर्त्तमान में राजस्व संग्रहण एवं मद्य निषेध में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वैसे ग्राम पंचायत जहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो वहाँ मदिरा की दुकानें राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती है । इसके अतिरिक्त वैसे स्थान जहाँ पर आदिम जनजाति के सदस्यों की घनी आबादी है वहाँ भी मदिरा के दुकान के लिए स्थल की स्वीकृति देना प्रतिबंधित है । इसके अतिरिक्त 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, दशहरा, होली, ईद, मुहर्रम, रामनवमी, इत्यादि पर्व के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा शुष्क दिवस घोषित किया गया है ।

झारखण्ड सरकार

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक–03 / विधायी–20–08 / 2015 1864 राँची, दिनांक– 25/8/15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–प्र0–2358 / वि0स0 दिनांक–20.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/8/15

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–03 / विधायी–20–08 / 2015 1864 राँची, दिनांक– 25/8/15

प्रतिलिपि:–अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची / माननीय मंत्री श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

25/8/15

सरकार के अवर सचिव

(164) 1225 22-08-15

श्री राम कुमार पाहन, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-28.08.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-02 का उत्तर सामग्री।

क0	प्रश्नकर्त्ता श्री राम कुमार पाहन, माननीय सदस्य विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि रॉंची जिलान्तर्गत अनगड़ा, खिजरी एवं ओरमांझी प्रखंडों में एक भी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों के मेधावी छात्रों को आई0टी0आई0 प्रशिक्षण लेने में काफी परेशानी होती है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनगड़ा प्रखंड के बेडवारी झटनीटुँगरी में आई0टी0आई0 प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का विचार रखती है, हॉं, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में रॉंची जिला के अनगड़ा प्रखंड के बेडवारी झटनीटुँगरी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

28/08/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉंची।

ज्ञापांक :- 5/प्रशि0(वि0स0)-41/2015- 1225 रॉंची, दिनांक :- 22-08-15

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र संख्या-2125 दिनांक-17.08.2015 के प्रसंग में 200 चक्रवालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/08/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉंची।

(165)

प्रो0 जय प्रकाश वर्मा , माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.08.2015 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–10 के संबंध में प्रश्नोत्तर ।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	प्रो0 जय प्रकाश वर्मा, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि नवनिर्मित झारखण्ड के सभी गाँव के थाना नम्बर वार सर्वे सेटलमेन्ट का नक्शा जिलावार कार्यालयों में उपलब्ध है;		आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक। नवसृजित झारखण्ड राज्य के सभी राजस्व ग्राम के थाना नम्बरवार सर्वे सेटलमेन्ट कार्यालय का नक्शा (भू–मानचित्र) जिलावार कार्यालयों में पूर्णतः उपलब्ध नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य सर्वे सेटलमेन्ट कार्यालय से झारखण्ड राज्य सर्वे सेटलमेन्ट कार्यालय को नक्शा उपलब्ध नहीं कराया गया है;		स्वीकारात्मक। संयुक्त बिहार राज्य में राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना में स्थापित है। राज्य विभाजन के बाद उत्तरवर्ती झारखण्ड राज्य को इस राज्य में अवस्थित राजस्व ग्रामों का कैडेस्ट्रल भ–मानचित्र अभी तक बिहार राज्य द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। राज्य से संबंधित राजस्व ग्रामों का कैडेस्ट्रल मैप गुलजारबाग राजकीय मुद्रणालय, बिहार, पटना में संग्रहित है। 1.राज्य में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या – 32623 2. कुल नक्शों की संख्या – 51415 3. वैसे राजस्व ग्रामों की संख्या जिसका भू–मानचित्र (नक्शा) पूर्णतः उपलब्ध है – 19200 (a) उपलब्ध सीट की कुल संख्या – 29741 4. वैसे राजस्व ग्रामों की संख्या जिसका भू–मानचित्र (नक्शा) पुर्णतः अनुपलब्ध है – 14675 (a) अनुपलब्ध सीट की कुल संख्या – 21330
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जन आकांक्षाओं को देखते हुए उक्त समस्या का निदान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?		राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य से जन आकांक्षाओं के मद्देनजर राजस्व ग्रामों के भू–मानचित्र (नक्शा) की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। राज्य द्वारा भू–मानचित्र मँगाने/प्राप्त किये जाने हेतु बिहार राज्य से कई बार पत्राचार किया है, किन्तु पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा अभी तक नक्शा (भू–मानचित्र) उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य को भेजे गये पत्रों की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र०	मु० मंत्री/पदाधिकारी के स्तर से	पत्रांक	दिनांक
1.	मुख्य सचिव	अ0स0 पत्र सं0–188	22.07.2009
2.	विभागीय पत्र	276	04.08.2010
3.	माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड	अ0स0पत्र–3900016	28.02.2011
4.	विभागीय अ0स0पत्र सं0	177	22.06.2011
5.	विभागीय पत्र सं0	291	20.09.2011
6.	मुख्य सचिव	अ0स0 पत्र सं0–53	28.02.2012

कृपया

		7.	विभागीय पत्र	138	15.06.2012
		8.	विभागीय पत्र	78	30.03.2013
		9.	मुख्य सचिव	अ०स० पत्र सं०–119	03.06.2013
		10	विभागीय पत्र	19	30.01.2016
		दिनांक–16.01.16 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की पटना में सम्पन्न बैठक में राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य को नक्शा उपलब्ध कराने हेतु पक्ष रखा गया है।			

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–2/भू०अभि० परि० निदे० (अल्पसूचित) वि०स०–74/15 416/रा० दिनांक– 26-8-15

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके पत्रांक–2214 वि०स०, दिनांक–18.08.15 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/15

सरकार के अवर सचिव–सह
सहायक निदेशक

166

श्रीमती विमला प्रधान, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 28.08.15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०– 04 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता:– श्रीमती विमला प्रधान– क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चि० शि० एवं प०क० विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तरदाता:– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा० चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.क्या यह बात सही है कि राज्य में 10 सरकारी एवं 38 निजी ए०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल है तथा इन्हें विभाग द्वारा N.O.C. दिया गया है। N.O.C. देने के पूर्व भारतीय परिचारिका परिषद द्वारा निर्धारित्त मापदण्डों यथा कम से कम 3 एकड़ जमीन और क्लिनिकल प्रशिक्षण के लिए कम से कम 50 बेड का अस्पताल होना आवश्यक है ;	आंशिक स्वीकरात्मक। राज्य में कुल 10 सरकारी एवं 44 निजी ए०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल संचालित है। विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शन के अनुसार ए०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल खोलने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कम–से–कम तीन एकड़ भू–खण्ड एवं शहरी क्षेत्र में एक एकड़ भू–खण्ड का प्रावधान है एवं क्लिनिकल सुविधा हेतु कम से कम 50 शय्या का अपना हॉस्पीटल अथवा टाई–अप हॉस्पीटल की व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी है।
2. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण स्कूलों में चलने वाले नर्सिंग स्कूलों में भारतीय परिचारिका परिषद के मापदण्डों का उल्लघंन कर नर्सिंग स्कूल का संचालन किया जा रहा है और स्वीकृत सीटों से अधिक सीटों पर नामांकन लिया जा रहा है ;	ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। सरकार द्वारा केवल अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाता है। भारतीय परिचारिका पर्षद निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने की स्थिति में ही ए०एन०एम० स्कूल संचालन की अनुमति देता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, सरकार भारतीय परिचारिका परिषद के मापदण्डों के अनुसार नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल चलवाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–10 / वि०स०(अ०सू०)–01–11–/2015 249 (10) राँची, दिनांक– 26.08.15

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं० 2123 दिनांक 17.08.15 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

26.8.15

सरकार के अवर सचिव।

Nand Kumar, Health Deptt.

167

श्री दीपक बिरूआ, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 28-08-15 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्र0सं0 –अ0सू0–30

प्रश्नकर्ता		उत्तरदाता
श्री दीपक बिरूआ, मा0 स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0 मंत्री, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग
1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराने हेतु स्वयंसेवी संस्था यथा विकास भारती और रिची ट्रस्ट को हर माह 22 दिन तथा झारखण्ड स्टेटअफ ट्रस्ट को हर माह 25– 25 दिन मोबाईल मेडिकल वाहन चलाने हेतु सरकार के साथ एमओयु किया गया है ;		स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त निर्धारित अवधि तक बिना सेवा प्रदान किये तथा फर्जी कागजात प्रस्तुत कर हर माह 2 लाख की राशि भुगतान लिया जा रहा है ;		अस्वीकारात्मक। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र एवं स्वयंसेवी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये विपत्र के आलोक में संबंधित संस्था को भुगतान किया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के तहत सुदूर जंगल और गाँव में रहने वाले गरीब असहाय लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित कराने में संलिप्त पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हों, तो कब तक नहीं तो क्यों ?		सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के तहत सुदुर जंगल और गाँव में रहनेवाले गरीब असहाय लोगो को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक– 15/ वि0स0–06-06/15– 348 (21) दिनांक– 27-8-15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0– 2446, दिनांक– 23-08-15 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15
सरकार के अवर सचिव ।